प्रतिवेद्य

समक्ष भारतीय सर्वोच्च न्यायालय सिविल अपीलीय न्यायक्षेत्र

सिविल अपील संख्या 4037/2019

[एस. एल. पी. (सी.) सं. 16555/ 2018 से उद्भूत]

नरेश चन्द्र भारद्वाजअपीलार्थी बनाम बैंक ऑफ इंडिया व अन्यप्रत्यर्थीगण

निर्णय

न्यायमूर्ति संजय किशन कौल

[&]quot;क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

1. अनुमति प्रदान की गयी।

- 2. अपीलार्थी प्रत्यर्थी सं. 1/बैंक ऑफ इंडिया (संक्षिप्त में 'बैंक') के साथ स्केल-2 अधिकारी के रूप में नियोजित था जब वह बैंक के लाल बँगला शाखा कानपुर में नियुक्त था तब उसने तीन ऋण अनमोदित किया था। अपीलार्थी ने दो ऋणों के लिए एक बार फिर से हर्ष नगर शाखा कानपुर में प्राधिकरण को संस्तुति किया था। मूलभूत रूप से ये ऋण गैर-व्यावसायिक परिसंपत्ति (NPA) के रूप में वर्गीकृत था और प्रदान किये जा रहे ऋणों की प्रक्रिया को बैंक द्वारा बारीकी से देखा गया था, जब कई प्रक्रियात्मक अनियमितताओं को पाया गया तब इसकी वजह से बैंक को 70.32 लाख रूपये का नुकसान हुआ था।
- 3. अनुशासनात्मक कार्यवाहियों के अनुसरण में अपीलार्थी को सेवा के निष्कासन के बड़े जुर्माने के साथ सामना करना पड़ा जो अपीलार्थी के ऊपर भविष्य के रोजगार के लिए निरर्हता नहीं होगा। दिनांक 25.10.2017 के आक्षेपित आदेश के अनुसार अपीलार्थी का प्रयत्न इन प्रतिकूल परिणामों के साथ पूर्णतया असफल रहा है।
- 4. दिनांक 04.07.2018 को केवल इस स्थिति ने इस न्यायालय को सूचना जारी करने के लिए राजी किया जो कि जुर्माने की मात्रा के सम्बन्ध में था। यह अपीलार्थी के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा अग्रिम प्रस्तुतीकरण के आधार पर था कि यहाँ पर अधिकारियों के दो अन्य मामले थे, पहला श्री आर. के. मिश्रा और दूसरा श्री वी. के. श्रीवास्तव जहाँ एक ही पक्ष के कारण समान नुकसान भी हुआ

था और उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति का दण्ड दिया जा चुका है। वस्तुतः अपीलार्थी ने समतुल्यता के आधार पर कहा कि उसे भी दण्डस्वरूप केवल अनिवार्य सेवानिवृत्ति ही मिलना चाहिए।

- 5. उपस्थिति दर्ज कर रहे प्रत्यर्थींगणों पर , प्रत्यर्थीं की तरफ से विद्वान अधिवक्ता ने अनुदेश प्राप्त करने की मांग की कि क्या दण्ड को अन्य दो दोषी कर्मचारियों के साथ अनुरूपता पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति से परिवर्तन किया जा सकता है। इसके सम्बन्ध में एक प्रतिउत्तर शपथपत्र दायर किया गया है जो अपीलार्थी की ओर से किए गये अनुरोध का विरोध करता है। हमें यह परीक्षण करना है कि यह विवाद की सीमित रूप –रेखा है जिसका वर्तमान मामले में परीक्षण करना है।
- 6. यह कहना घिसा-पिटा है कि न्यायालय का अधिकार क्षेत्र दण्ड की मात्रा के मुद्दे पर बहुत सीमित है। यह अनुशासनात्मक प्राधिकारी या अपीलीय प्राधिकारी है, जो किये गये कदाचार की गम्भीरता को ध्यान में रखकर दण्ड की प्रवृत्ति को निर्धारित करता है। इसका अर्थ यह नहीं होगा कि यदि दण्ड इतना अनुपातहीन है कि यह न्यायालय के मिष्तिष्क को झकझोर देता है, तो न्यायालय को इसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। साधारणतया इस प्रकार के मामलों में भी अनुशासनात्मक/अपीलीय प्राधिकारी द्वारा विचार के लिए मामले को वापस कर देना उचित हो सकता है। हालांकि, हस्तक्षेप का एक अन्य कारण यह हो सकता है कि जहाँ दण्ड में समानता की दलील दी गयी है लेकिन तब पूर्व आवश्यकता यह होगी कि समानता को ऐसे आरोपों की प्रकृति में होना चाहिए जो कि दोषी कर्मचारी और कर्मचारी के आचरण के विरुद्ध किये गये हैं। यह बाद का

<u>"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और</u> किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

पहलू है जिसे राजेंद्र यादव बनाम मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य (2013) 3 एससीसी 73 के मामले में निर्णय पर भरोसा करके अपीलार्थी की तरफ से विद्वान अधिवक्ता द्वारा उन्नत होने की माँग की जाती है। इस पहलू पर प्रत्यर्थींगणों की तरफ से विद्वान अधिवक्ता ने लखनऊ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (अब उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, इलाहाबाद) एवं अन्य बनाम राजेन्द्र सिंह (2013) 12 एससीसी 73 के निर्णय पर ध्यानाकर्षित किया जो कि उपरोक्त में पूर्ववर्ती निर्णय का उल्लेख किया गया था।

- 7. प्रस्ताव में वास्तव में कोई अंतर नहीं है, जिसे प्रस्तावित निर्णय को छोड़कर कहा जाना चाहिए कि बाद के निर्णयों में सिद्धान्तों को संक्षिप्त रूप में संक्षेपित किया गया है, जो निम्नानुसार पढ़ा गया है–
 - "19. ऊपर उल्लिखित सिद्धान्तों को संक्षिप्ततः प्रस्तुत किया जा सकता है–
 - 19.1. जब एक कदाचार के आरोपों को एक जाँच में साबित किया जाता है, तो एक विशेष मामले में लगाये जाने वाली सजा की मात्रा अनिवार्य रूप से विभागीय अधिकारियों का क्षेत्र है।
 - 19.2. मा. न्यायालय अनुशासनिक/विभागीय प्राधिकारियों के कार्य को नहीं मान सकते और दण्ड की मात्रा एवं जुर्माने की प्रकृति तय होना, यह कार्य विशेष रूप से सक्षम प्राधिकारी के अधिकार क्षेत्र में हैं।

19.3. सीमित न्यायिक समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा लगाए गए दण्ड के साथ हस्तक्षेप करने के लिए उपलब्ध है, केवल उन मामलों में जहाँ इस तरह का जुर्माना अदालत के विवेक के लिए चौंकाने वाला पाया जाता है।

19.4. यहाँ तक कि ऐसे मामले में भी जब सजा दोषी कर्मचारी के विरुद्ध आश्चर्यजनक रूप से अलग अलग अनुपात में आरोपों की प्रकृति के रूप में अपास्त किया जाता है तो कार्यवाही की उपयुक्त प्रणाली अनुशासनात्मक प्राधिकारी अथवा अपीलीय प्राधिकारी को वापस भेजने के निर्देश के साथ उचित आदेश पास करने के लिए है। मा. न्यायालय अपने आप में यह प्रदर्शित नहीं कर सकते कि ऐसे मामले में क्या दण्ड दिया जाना चाहिए।

19.5. उपर दिए गये प्रस्तर (डी) में वर्णित सिद्धान्त का एकमात्र अपवाद उन मामलों में हुआ होगा जहाँ सह –अपराधी को अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा कम सजा दी जाती है, यहाँ तक कि कदाचार का आरोप समान अथवा अधिक गंभीर आरोपों में सह – अपराधी थे। यह समानता के सिद्धान्त पर होगा जब यह पाया जाता है कि सम्बन्धित कर्मचारी और सह –अपराधी समान रूप से रखे गये हैं। हालांकि दोनों के बीच एक पूर्ण समता होनी चाहिए, न केवल आरोप की प्रकृति के सम्बन्ध में, बल्कि दोनों मामलों में आरोप पत्र दे देने के आचरण में भी। यदि सह –अपराधी आरोपों को स्वीकार करता है तो

[&]quot;क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

<u>अयोग्य माफी के साथ पश्चाताप का संकेत उसके लिए कम दण्ड देना</u> न्यायोचित होगा।

(जोर दिया गया)

- 8. इस प्रकार, सिद्धांत इस मामले से बाहर निकलता है कि दण्ड की मात्रा के मुद्दे, जैसा कि उपरोक्त प्रस्तर 19.5 में दर्शित है, उदाहरणस्वरूप एक सह—अपराधी को अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा कम सजा प्रदान किया जाता है यहाँ तक कि जब भी दुर्व्यवहार के आरोप समान होते हैं अथवा सह—अपराधी को अत्यधिक गंभीर आरोप के साथ थोपा गया। यह समानता के सिद्धांत पर आधारित है लेकिन फिर एक पूर्ण समानता होना चाहिए।
- 9. अब हम उपरोक्त सिद्धान्तों की रूप रेखा में वर्तमान मामले के तथ्यों का विश्लेषण के लिए आगे बढते हैं।
- 10. यदि हम अन्य दो अधिकारियों के मामले का अवलोकन करें तो बैंक का संभावित नुकसान श्री आर. के. मिश्रा के मामले में 79.70 लाख रूपये व श्री वी. के. श्रीवास्तव के मामले में 39.74 लाख रूपये आँका गया था। कम से कम यह राशि श्री आर. के. मिश्रा के मामले में से एक बहुत अधिक असमान नहीं है। हालाँकि क्या कार्य किया गया बह अधिक महत्वपूर्ण है। ऋणों के प्रश्नों के विषय में श्री आर. के. मिश्रा और श्री वी. के. श्रीवास्तव दोनों अनुमोदन प्राधिकारी के रूप में थे और दोनों अधिकारियों के मामले में प्रत्येक के चार ऋण शामिल थे।

अपीलार्थी के मामले में, वह तीन ऋणों में अनुमोदन प्राधिकारी था, जबकि दो ऋणों में अनुशंसित प्राधिकारी था।

- 11. इस स्थिति के मूल्यांकन में, हम प्रथमतः अपीलार्थी के विरुद्ध आरोपों का उल्लेख करेंगे। यह उल्लेखनीय है कि दुर्भावना सिद्ध नहीं हुई थी। यह पाया गया कि श्री विक्रम दीक्षित उर्फ श्री विनय सोंढी एक प्रमुख व्यक्ति हैं जो एक धोखेबाज हैं और उन्होंने कई संगठनों को धोखे से प्राप्त विभिन्न पहचान पत्रों के माध्यम से अपनी पहचान साबित करके धोखा दिया है। तीसरा महत्वपूर्ण पहलू यह है कि अनुमोदित अधिवक्ताओं और मूल्यांकनकर्ताओं ने एक आख्या प्रस्तुत की, जो बैंक अधिकारियों द्वारा भरोसे के ऊपर थी। यह वास्तव में तीनों मामलों में सामान्य सूत्र जान पडता है।
- 12. अब मुख्य सतर्कता अधिकारी के संस्तुति दिनांक 20.08.2009 की तरफ मुड़ते हैं, यह प्रस्तर 6.2 प्रतिलिपि के अनुरूप था जैसा कि निम्नानुसार पठित है-
 - " 6.2 डी. ए. ने तीनों अधिकारियों पर "अनिवार्य सेवानिवृत्ति " के प्रमुख दण्ड को अधिरोपण करने की संस्तुति की है। अभिलेखों के अनुशीलन पर, हम पाते हैं कि, श्री वी. के. श्रीवास्तव और श्री. आर. के. मिश्रा P.F. के और श्री एन. सी. भारद्वाज पेंशन के वैकल्पिक हैं। इससे पहले हमने तीनों अधिकारियों को "सेवा से निष्कासन" के सम्बन्ध में प्रस्तावित कर चुके हैं, श्री भारद्वाज पर अधिरोपित अनिवार्य सेवानिवृत्ति मामले में तथ्य को देखते हुए, वह अनिवार्य सेवानिवृत्ति व्यक्ति के लिए

हकदार होंगे। श्री भारद्वाज द्वारा कारित कदाचारों की गंभीरता को देखते हुए, हमें लगता है कि उनके मामले में "सेवा का निष्कासन" उचित दण्ड होना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि हर्ष नगर शाखा में 2 मामलों में संस्तुति प्राधिकारी के रूप में उसका हस्तक्षेप के अतिरिक्त, उन्होंने समान पक्ष का समायोजन यानी श्री विक्रम दीक्षित को लाल बँगला शाखा से 3 अन्य ऋणों की संस्तुति की।"

- 13. उपरोक्त पठन से यह देखा जाता है कि, जब पूर्व में तीनों अधिकारियों को सेवा से निष्कासन का प्रस्ताव था, अन्य दो अधिकारियों के सम्बन्ध में, के मामले में ऐसा नहीं करते हुए इसे अनिवार्य सेवानिवृत्ति में बदल दिया गया। उपपत्ति में अपीलार्थी के कदाचार और तथ्य को गंभीरता से कहा गया है कि वह दो मामलों में अनुशंसित प्राधिकारी व तीन अन्य मामलों में अनुमोदन अधिकारी था। हालांकि वास्तविक कारण प्रस्तर के पूर्व के भाग से बाहर आता है, जो यह है कि, अपीलार्थी को पेंशन के लिए चुना गया जबिक अन्य दो अधिकारियों को भविष्य निधि को लिए चुना गया। यह कि दोनों विकल्पों के सम्बन्ध में वित्तीय जटिलता क्या है और यह कि क्या अपीलार्थी को पेंशन के लिए चुने जाने के कारण अधिक वित्तीय लाभ प्राप्त होगा, हालांकि हमारे समक्ष किसी भी तर्क का स्पष्टीकरण नहीं हुआ है।
- 14. हमारे लिए यह स्वीकार करना मुश्किल है कि तीनों अधिकारियों के आचरण में कोई भिन्नता है जो दण्ड में यह विभेदन न्यायसंगत होगा। नोटिस के निमित्त सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि प्रत्यर्थींगणों द्वारा प्रस्तुत प्रतिउत्तर शपथपत्र के अनुसार, वे स्वज्ञान में अपीलार्थी को सहानुभूतिशील भत्ता प्रदान

[&]quot;क्षेत्रीय माषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

करने के लिए सहमत हुए हैं, जो पूर्ण पेंशन का 2/3 भाग उनको देय होगा उस पर सेवा से निष्कासन का दण्ड अधिरोपित नहीं हुआ है। यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि आगे समान प्रस्तर 8.2 में यह तर्क दिया गया कि भले ही सजा को अनिवार्य सेवानिवृत्ति में परिवर्तित किया गया हो अपीलार्थी को पूर्ण पेंशन का 2/3 भाग प्राप्त होगा जो सहानुभूतिशील भत्ते के लिए प्राप्त पूर्ण पेंशन के 2/3 भाग के बराबर है। अपीलार्थी को सहानुभूतिशील भत्ते के व्यवहारतः पेंशन विनियमन 1995 के विनियमन 31 एवं 33 के तहत अधिकतम लाभ दिया गया है।

" 8.2......आगे यह प्रस्तुत किया गया कि यदि याचिकाकर्ता पर दण्डस्वरूप "सेवा से निष्कासन" अधिरोपित है तो "अनिवार्य सेवानिवृत्ति" के रूप में संशोधित किया जाता है, जो पूर्ण पेंशन के 2/3 वाँ भाग प्राप्त करेगा जो पूर्ण पेंशन के 2/3 वाँ भाग के बराबर है जो उन्हें वर्तमान में "सहानुभूतिशील भत्ते" के रूप में प्राप्त हो रहा है। "

15. हम एक बार इस बात की सराहना करने में विफल रहते हैं कि कोई वित्तीय भिन्नता नहीं है और कार्य व्यवहारतः एक समान है, तो प्रत्यर्थींगणों ने अपीलार्थी पर "सेवा से निष्कासन जो भविष्य के रोजगार के लिए अयोग्य नहीं होगा" से "अनिवार्य सेवानिवृत्ति" में प्रयुक्त दण्ड को बदलने के लिए स्वयं से हिचकिचाहट क्यों हुई। एकमात्र पक्ष दण्ड की प्रकृति है जो अपीलार्थी प्रत्यर्थी –बैंक के लिए बिना किसी वित्तीय निहितार्थ अन्य दो अधिकारियों से अधिक प्रकट होता है।

- पूर्वकथित तथ्यों एवं परिस्थितियों में इस प्रकार हम अपीलार्थी के तर्क स्वीकार करने में प्रवृत्त होते हैं ताकि उसका दण्ड पूर्वकथित शर्तों में से एक "अनिवार्य सेवानिवृत्ति" में परिवर्तित हो।
- इस अपील को तदनुसार अनुमित प्रदान की जाती है पक्षों को अपना खर्चा स्वयं वहन करना होगा।

न्यायमूर्ति संजय किशन कौल

न्यायमूर्ति इंदिरा बैनर्जी

नई दिल्ली, 22 अप्रैल, 2019